

-1-

ATTESTED



VIS

Notary Public

Jabalpur District M.P. India

समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रा.प्र.क्र.

सन् 2016

अव - 2181-I-10

- अनूप सिंह धुर्वे आयु 55 वर्ष, पिता केहर सिंह धुर्वे,
निवासी-ग्राम अमझर, तहसील कुण्डम जिला जबलपुर

ATTESTED



VIS

Opponent

Jabalpur District M.P. India

विरुद्ध

अनावेदक / क्रेता- 1- श्रीमति शैली धोपे पति श्री कमलेश धोपे उम्र 46
वर्ष निवासी- 6ए नर्मदा रोड, जबलपुर

2- मध्यप्रदेश शासन

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

श्री एम.पी. सिपारी
एडवोकेट जबलपुर
जा. प्र. प्र.

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र.157/अ-21/2013-14
पारित आदेश दिनांक 23-05-2016 से परिवेदित होकर आवेदक निम्नलिखित
तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

2/16

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2181-एक/16

जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 4-7-16 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 157/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 23-5-16 से परिवेदित म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की मौजा अमझर प.ह.नं. 6/15 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 4.18 में से रकबा 2.02 हैक्टर एवं खसरा नं. 76/2 रकबा 0.80 हैक्टर कुल 2.82 अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया। जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है। आवेदित भूमि ग्राम के पहुंच मार्ग की पक्की सड़क से लगकर स्थित होने के कारण उसकी कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। कलेक्टर का भूमि की कीमत भविष्य में आगे बढ़ने संबंधी निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु उक्त संभावना के आधार पर उनका निष्कर्ष</p> | |

R/a

M

निगा 2181. I/16 (जवलय)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| | <p>न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि भूमि पहुंच मार्ग के निकट स्थित हो अथवा भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से जांच कराई गई है तथा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया है। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच उपरांत जो प्रतिवेदन पेश किया गया है इसमें प्ररनाधीन भूमि के संबंध में स्पष्ट किया गया है उक्त भूमि भूमिस्वामी दर्ज है। शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। प्ररनाधीन भूमि के विक्रय उपरांत आवेदक के पास 2.16 हेक्टर सिंचित भूमि शेष रहेगी। प्रकरण में चूंकि तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. द्वारा आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदक को प्ररनाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नहीं होगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-5-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा अमहर प.ह.नं. 6/15 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबैलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 4.18 में से रकबा 2.02 हेक्टर</p> | |

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2181-एक/16

जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| | <p>एवं खसरा नं. 76/2 रकबा 0.80 हेक्टर कुल 2.92 को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अचिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । <p>यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |

R
15